प्रेस नोट दिनांक- 18.07.2025

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ

सीबीआई व इनकम टैक्स अ धकारी बनकर ठगी करने वाले गैंग का 24 घंटे में पर्दाफाश — 05 अ भयुक्त गरफ्तार, टप्पेबाजी की घटना के 3.30 लाख रुपये नकद, फर्जी आईडी, नकली नोट(कुल 369100 रुपये) एवं अवैध ह थयार बरामद

पु लस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देश पर गठित टीमों द्वारा 24 घंटे में टप्पेबाजी कांड का सफल अनावरण, 05 अ भयुक्तों गरफ्तार व नकद धनरा श बरामद

अ भयुक्तो को स्पेशल टीम व थाना पट्टी पु लस द्वारा थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत महदहा गांव के पास नहर पु लया गरफ्तार कया गया

सीबीआई/इनकम टैक्स अ धकारी बनकर पूर्व नियोजित साजिश के तहत 5 लाख की टप्पेबाजी करने वाले गरोह का खुलासा — अ भयुक्तों ने पूछताछ में मानी संगठित अपराध में सं लप्तता

वादी की तहरीर के आधार पर थाना पट्टी पर 01 एक नामजद व अज्ञात अ भयुक्तों के वरुद्ध नकदी टप्पेबाजी की घटना में अ भयोग पंजीकृत कया गया था ।

अन्तर्जनपदीय अ भयुक्त रंजीत कुमार उपरोक्त पर जनपद प्रयागराज, जनपद उन्नाव, प्रतापगढ़ में धोखाखड़ी, छिनैती, फर्जी दस्तावेज, अपहरण, वस्फोटक पदार्थ अ ध, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, जैसे संगीन कुल 07 अपराध दर्ज है-

अन्तर्जनपदीय अ भयुक्तों बृजेश सह, रामसकल केवट, लल्लू केवट उपरोक्त पर जनपद अम्बेडकरनगर, जनपद अमेठी, प्रतापगढ़ में धोखाखड़ी, छिनैती, फर्जी दस्तावेज, अपहरण जैसे संगीन अपराध दर्ज है-

घटना का ववरण-

वादी, निवासी ग्राम महुआर, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 14.07.2025 को वह अपने परि चत राम वशाल तिवारी पुत्र गायत्री प्रसाद तिवारी, निवासी चौक बाजार वार्ड संख्या 8, कस्बा पट्टी, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के साथ लेबर कार्य हेतु उड़ैयाडीह जा रहे थे, तभी उड़ैयाडीह से पृथ्वीगंज की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित एक पु लया के पास तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा स्वयं को इनकम टैक्स अ धकारी बताते हुए उनकी कार

की तलाशी ली गई और कार की अगली सीट पर रखा लगभग 5 लाख रुपए नकद से भरा बैग टप्पेबाजी कर ले जाया गया। घटना के पश्चात सहयात्री राम वशाल तिवारी के व्यवहार में असामान्यता व टालमटोल करने की प्रवृ त पर वादी द्वारा शंका व्यक्त की गई क उपरोक्त घटना उक्त व्यक्ति की मलीभगत से की गई है। वादी की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 214/25 धारा 304(2)/319(2)/318(4) बीएनएस बनाम एक नामजद एवं अन्य अज्ञात अ भयुक्तों के वरुद्ध अ भयोग पंजीकृत कर व धक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

उक्त घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पु लस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा तत्काल घटना के सफल अनावरण हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान कए गए । पु लस अधीक्षक के निर्देशन में वशेष टीमों का गठन कया गया। गठित टीमों द्वारा प्रभावी सुरागरसी-पतारसी एवं तकनीकी सहायता के माध्यम से की गई त्वरित कार्रवाई के फलस्वरूप इस टप्पेबाजी कांड का सफल अनावरण करते हुए 24 घण्टे के अन्दर कुल 05 अ भयुक्तों की गरफ्तारी सुनिश्चित की गई है तथा घटना में प्रयुक्त धनरा श की बरामदगी भी की गई है। प्रकरण में अ ग्रम व धक कार्यवाही प्रच लत है।

इसी क्रम में पु लस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पु लस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्रा धकारी पट्टी श्री मनोज कुमार संह रघुवंशी के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पंकज राय के नेतृत्व में स्पेशल टीम के प्रभारी उ0नि0 अ मत कुमार चौर सया मय हमराह हे0का0 महेश संह, का0 राहुल यादव, का0 अमोघ संह, का0 सुनील यादव, का0 आनन्द यादव मय चालक हे0का0 रामजन्म व थाना पट्टी के उ0नि0 कमलेश कुमार मय हमराह उ0नि0 संतोष कुमार, उ0नि0 बैकुण्ठनाथ पाण्डेय मय हमराह हे0का0 वनोद संह व का० सत्यम शर्मा, का0 हरिकेश पाल मय चालक हे0का0 मुकेश त्रिपाठी द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना पट्टी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 214/25 धारा 304 (2)/319(2)/318(4) बीएनएस से संबं धत 05 अ भयुक्तों, 1. बृजेश संह पुत्र छोटकू संह निवासी बीबीपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 50 वर्ष, 2. राम वशाल तिवारी पुत्र गायत्री प्रसाद तिवारी निवासी चौक बाजार वार्ड नं0 04 कस्बा पट्टी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 51 वर्ष, 3. रामसकल केवट पुत्र राम कशुन केवट निवासी ग्राम काजी नेवादा थाना बक्शा जनपद जौनपुर उम्र करीब 52 वर्ष, 4. लल्लू केवट पुत्र चल्लूर निवासी ग्राम नई बस्ती सैफाबाद थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 47 वर्ष, 5. रंजीत कुमार यादव पुत्र छोटेलाल यादव निवासी परानू का पुरा थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज उम्र करीब 30 वर्ष को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत महदहा गांव के पास नहर पु लया गरफ्तार कया गया।

अ भयुक्तों के कब्जे से टप्पेबाजी की घटना से संबं धत कुल 3,30,000 रुपये नगद, 01 अदद मोटर साइ कल, घटना में प्रयुक्त 06 अदद मोबाइल फोन, 05 अदद गड्डी सदृश्य(नकली) भारतीय नोट 500 व 200 के कुल 1294 अदद कुल मूल्य 369100 व कूट र चत आईडी कार्ड(इनकम टैक्स व सीबीआई) बरामद कया गया है, जिसके संबंध में उपरोक्त अ भयोग में धारा धारा 3(5), 338, 336(3), 340(2), 112, 317 (2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई ।

अ भयुक्त बृजेश संह उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कया गया है, जिसके संबंध में थाना पट्टी में मु0अ0सं0 215 / 25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अ भयोग पंजीकृत कया गया है । बरामद मोटर साइ कल को धारा 207 एमवीएक्ट में सीज कया गया है ।

पूछताछ का ववरणः-

गरफ्तार अ भयुक्तों से पूछताछ करने पर सभी ने एक स्वर मे बताया क हम सभी लोग संगठित होकर जनता से ठगीं व झपटमारी का काम करते हैं तथा लोगों को सीबीआई तथा इनकम टैक्स ऑफीसर का झांसा देकर ठगी का काम करते हैं । कुछ दिन पहले साथी राम वशाल तिवारी ने हम लोगो को बताया क हमारे मत्र वादी उपरोक्त काफी पैसे वाले हैं । जो कान्ट्रेक्टर का काम करते हैं इनको लेवर की जरूरत है, हम लोगो ने मलकर निश्चित कया क लेवर दिलाने के बहाने इनको अपने जाल में फंसा कर ठगी करेंगे ।

हम सभी पांचो लोगों की अलग अलग भू मका निभाने को बृजेश संह द्वारा बताया गया । तब पूर्व नियोजित योजना के अनुसार दिनांक 14.07.2025 की शाम को करीब 7.00 बजे हमारे साथी राम वशाल तिवारी द्वारा वादी निवासी ग्राम महुआर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को मजदूर दिलाने के नाम पर झांसा देकर कुल 5 लाख रूपये के साथ उडैयाडीह में नहर पु लया के पास लाया गया तथा हमारे साथी बृजेश संह सीबीआई अफसर व राम सकल केवट तथा लल्लू केवट इनकम टेक्स वभाग के कर्मचारी बनकर बृजेश संह की मोटर साइ कल सुपर स्पेलेंडर से तीनों लोग नहर पु लया के पास आये व वादी को रोककर इनकम टेक्स अ धकारी बनकर उनकी गाडी चेक करने लगे तथा झूठ बोलकर उनकी गाड़ी से चे कंग के नाम पर रूपयों वाला बैग निकाल लये तथा वहां से पट्टी की तरफ भाग निकले । जहां बीबीपुर नहर पु लया पर पहले से मौजूद रंजीत यादव को रूपये वाला बैग दे दिये जिनका काम रूपये वाले बैग को सुर क्षत हमारी टीम के लीडर बृजेश संह के घर पर पहुचाना था फर सब लोग अपने अपने बताये गये स्थान पर चले गये ।

अगले दिन बृजेश संह के घर हम पांचो लोग इकट्ठा हुये और बृजेश संह ने कहा क दिनांक 17.07.2025 को शाम के समय महदहां गांव के पास ब गया में एकान्त में मलेंगे और वहीं रूपयों का बटवारा करेगें। आज हम लोग बृजेश संह के कहने पर ब गया में आये थे और अपनी-अपनी भू मका के अनुसार रूपयों का बटवारा कये। बृजेश संह को 158000/- (एक लाख अट्ठावन हजार) रूपये, राम वशाल तिवारी को 1,71,000/- (एक लाख इकहत्तर हजार) रूपये, राम सकल केवट को 1,00000/- (एक लाख) रूपये, लल्लू केवट को 36,000/- (छत्तीस हजार) रूपये व रंजीत कुमार यादव को 35,000/- (पैंतीस हजार) रूपये बटवारे में मला था।

मौके पर बैग में बरामद सदृश्य(नकली) नोट के बारे में पूछा गया तो बताये क हम असली रूपयों में सदृश्य(नकली) नोटों को मलाकर गड्डी बनाकर बाजार में चलाने तथा ठगी करने का काम करते हैं। व्यक्तियों से बरामद आईडी कार्ड के वषय में पूछा गया तो बताये क हम लोग इनकम टैक्स तथा सीबीआई के फर्जी कार्ड बनाकर अपने पास रखते हैं जिससे लोगों को डरा धमका कर ठगी कर सकें ।

बरामद अवैध तमंचा व कारतूस के बारे में अ भयुक्त बृजेश संह से पूछा गया तो बताया क मैं लोगों को डराने व धमकाने के लये तमंचा व कारतूस रखता हूँ। पास में खड़ी 01 अदद मोटर साइ कल सुपर स्पेलेंडर के बारे में पूछने पर बृजेश संह ने बताया क ये मेरी मो0सा0 है जिसको मैं चलाकर दिनांक 14.07.2025 को उडैयाडीह

लेकर गया था गाडी पर पीछे राम सकल केवट तथा लल्लू केवट बैठे थे, घटना के बाद इसी गाडी से हम लोग वापस आ गये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. बृजेश सिंह पुत्र छोटकू सिंह निवासी बीबीपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 50 वर्ष ।

2. राम विशाल तिवारी पुत्र गायत्री प्रसाद तिवारी निवासी चौक बाजार वार्ड नं0 04 कस्बा पट्टी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 51 वर्ष ।

3. रामसकल केवट पुत्र राम किशुन केवट निवासी ग्राम काजी नेवादा थाना बक्शा जनपद जौनपुर उम्र करीब 52 वर्ष ।

4. लल्लू केवट पुत्र चिल्लूर निवासी ग्राम नई बस्ती सैफाबाद थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 47 वर्ष ।

5. रंजीत कुमार यादव पुत्र छोटेलाल यादव निवासी परानू का पुरा थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज उम्र करीब 30 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास-

01- अभि0 रंजीत कुमार यादव पुत्र छोटे लाल यादव निवासी ग्राम परानु का पुरा थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 07/22 धारा 406/420/504/506 भादवि थाना अंचलगंज जनपद उन्नाव ।

2. मु0अ0सं0 08/22 धारा 489बी,489सी,489डी भादवि थाना अंचलगंज जनपद उन्नाव ।

3. मु0अ0स0 315/21 धारा 4/5 बम विस्फोटक अधि0 थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज ।

4. मु0अ0सं0 468/19 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज ।

5. मु0अ0सं0 116/18 धारा 489ए,489बी,489सी,489डी भादवि थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज ।

6. मु0अ0सं0 383/218 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज

7. मु0अ0सं0 214/25 धारा 304(2) /319(2)/318(4)/3(5)/338/336(3)/340(2)/112/ 317(2) बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0 थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

02- अभि0 बृजेश सिंह पुत्र छोटकू सिंह निवासी बीबीपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 06/25 धारा 406/419/420/504/506 भादवि थाना लम्भुआ सुल्तानपुर।

2. मु0अ0सं0 214/25 धारा 304(2)/319(2)/318(4)/3(5)/338/336(3)/340(2)/112/ 317(2) बीएनएस व 3/25 आयुध अ धि0 थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

3. मु0अ0सं0 215/25 धारा 3/25 आयुध अ धि0 थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

03- अ भि0 लल्लू केवट पुत्र चल्लूर निवासी नई बस्ती सैफाबाद थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़का आपरा धिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 98/2022 धारा 3/25 आयुध अ धि0 थाना जायस जनपद अमेठी।

2. मु0अ0सं0 141/2024 धारा 406/420 भाद वि थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर

3. मु0अ0सं0 214/25 धारा 304(2) /319(2)/318(4)/3(5)/338/336(3)/340(2)/112/ 317(2) बीएनएस व 3/25 आयुध अ धि0 थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

04- अ भि0 राम सकल केवट पुत्र राम कशुन केवट निवासी ग्राम काजी नेवादा थाना बक्शा जनपद जौनपुर का आपरा धिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 141/2024 धारा 406/420 भाद वि थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर।

2. मु0अ0सं0 214/25 धारा 304(2) /319(2)/318(4)/3(5)/338/336(3)/340(2)/112/ 317(2) बीएनएस व 3/25 आयुध अ धि0 थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

05- अ भि0 राम वि शाल तिवारी पुत्र गायत्री प्रसाद तिवारी निवासी चौक बाजार वार्ड नंबर 8 कस्बा पट्टी थाना पट्टी प्रतापगढ़ का आपरा धिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 214/25 धारा 304(2) /319(2)/318(4)/3(5)/338/336(3)/340(2)/112/ 317(2) बीएनएस व 3/25 आयुध अ धि0 थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01. टप्पेबाजी की घटना से संबं धित कुल 3,30,000 रुपये नगद बरामद ।

02. 01 अदद मोटर साइ किल, घटना में प्रयुक्त 06 अदद मोबाइल फोन बरामद ।

03. 05 अदद गड्डी सदृश्य(नकली) भारतीय नोट 500 व 200 के कुल 1294 अदद कुल मूल्य 369100 ।

04. कूट र चित आईडी कार्ड(इनकम टैक्स व सीबीआई) ।

05. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद ।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

01. स्पेशल टीम- प्रभारी उ0नि0 श्री अमित कुमार चौरसिया मय हमराह हे0का0 महेश सिंह, का0 राहुल यादव, का0 अमोघ सिंह, का0 सुनील यादव, का0 आनन्द यादव मय चालक हे0का0 रामजन्म ।

02. थाना पट्टी पुलिस- उ0नि0 कमलेश कुमार मय हमराह उ0नि0 श्री संतोष कुमार, उ0नि0 श्री बैकुण्ठनाथ पाण्डेय मय हमराह हे0का0 विनोद सिंह व का॰ सत्यम शर्मा, का0 हरिकेश पाल मय चालक हे0का0 मुकेश त्रिपाठी थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ ।

बयान-

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा जनसुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। सीबीआई एवं इनकम टैक्स अधिकारी बनकर संगठित रूप से ठगी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण हमारी तत्परता, प्रभावी रणनीति एवं पुलिस टीमों की मेहनत का परिणाम है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व नकद धनराशि बरामदगी से यह स्पष्ट होता है कि अपराध चाहे जितना भी शातिर क्यों न हो, प्रतापगढ़ पुलिस उसे बख्शने वाली नहीं है ।

सामान्य नागरिकों से अनुरोध है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को किसी सरकारी एजेंसी जैसे सीबीआई, इनकम टैक्स अथवा अन्य किसी विभाग का अधिकारी बताकर तलाशी या पूछताछ का प्रयास करे, तो तुरंत उसकी पहचान की पुष्टि करें और नजदीकी पुलिस स्टेशन या डायल 112 पर सूचित करें। किसी भी स्थिति में बिना वैध पहचान के व्यक्ति से संवाद करने अथवा धन का लेन-देन करने से बचें।

जनपद प्रतापगढ़ में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि करने वाले व्यक्तियों को सख्त संदेश है कि पुलिस की पैनी निगाह आप पर है। कानून से बचना असंभव है। संगठित अपराध, फर्जीवाड़ा, ठगी एवं जनता को भ्रमित करने वाले गिरोहों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना बाघराय पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त को थानाक्षेत्र बाघराय के चामुण्डा देवी मंदिर पर जाने वाली सडक पर बने गेट के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का सं क्षप्त ववरण-

वादिनी की पुत्री को अ भयुक्त गो वन्द पुत्र रामकुमार नि० सराय बादशाह कुली छोटी मदारी थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बाघराय में अंतर्गत धारा 137(2) बीएनएस का अ भयोग पंजीकृत कया गया था।

पु लस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपरा धक क्रया कलाप में सं लप्त अपरा धयों के वरूद्ध चलाये जा रहे अ भयान के क्रम में अपर पु लस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्रा धकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 तेज बहादुर यादव मय हमराह का र वन्द्र कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अ भयुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चे कंग/ ववेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2) से संबं धत 01 वांछित अ भयुक्त 01. गो वन्द पुत्र रामकुमार नि० सराय बादशाह कुली छोटी मदारी थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज उम्र करीब 18 वर्ष को थानाक्षेत्र बाघराय के चामुण्डा देवी मंदिर पर जाने वाली सडक पर बने गेट के पास से गरफ्तार कया गया।

गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण-

01. गो वन्द पुत्र रामकुमार नि० सराय बादशाह कुली छोटी मदारी थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज उम्र करीब 18 वर्ष ।

गरफ्तार करने वाली पु लस टीम-

उ0नि0 तेज बहादुर यादव मय हमराह का र वन्द्र कुमार थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़

<u>थाना कोहंडौर,जनपद प्रतापगढ</u>

अवैध स्मैक व कार के साथ 03 शातिर अ भयुक्तों को कया गरफ्तार- पु लस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना कोहंडौर पु लस ने की कड़ी कार्यवाही ।

स्वॉट टीम व थाना कोहंडौर पु लस द्वारा गरफ्तार अ भयुक्तों के कब्जे से कुल 167 ग्राम अवैध स्मैक बरामद (अनुमानित कीमत लगभग 200000 रुपये), घटना में प्रयुक्त कार सीज कया गया ।

अ भयुक्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत अर्धनि र्मत टोल प्लाजा वह्द ग्राम धरौली मधुपुर के पास से गरफ्तार कया गया

पु लस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपरा धक क्रया कलाप में सं लप्त अपरा धयों के वरूद्ध चलाए जा रहे अ भयान के क्रम में अपर पु लस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्रा धकारी नगर श्री शव नारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 दिनेश संह मय हमराह हे0 का0 मोहित राज यादव, हे. का. पंकज दुबे, हे.का. धनन्जय राय, चालक हे. का. राजेन्द्र प्रसाद संह, का. श्रीराम यादव, का. जागीर संह, का. आशुतोष पाण्डेय, का. प्रवीण नयन, का. अर वन्द दुबे, चालक का. राजेन्द्र कुमार जनपद प्रतापगढ़ व थाना प्रभारी कोहंडौर उ0नि0 प्रवीण कुमार दुबे मय हमराह उ0नि0 प्रतीक संह, का. अजय गौड़, का. गौरव बाबू, का. सन्तोष यादव, चालक का.. सौरभ संह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अ भयुक्त, चे कंग के दौरान, थाना कोहंडौर क्षेत्रान्तर्गत अर्धनि र्मत टोल प्लाजा वह्द ग्राम धरौली मधुपुर के पास से 03 अ भयुक्तों, 1. सरफराज अहमद पुत्र अली अहमद निवासी अजीज नगर नूरपुर बुतात थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 2. मो0 तारिक पुत्र मो0 आ सफ निवासी ग्राम टिकरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी 3. मो. इबरान पुत्र मो. इश्तियाक निवासी ग्राम बरौली म लक थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी कुल 167 ग्राम अवैध स्मैक व अर्टिगा कार के साथ गरफ्तार कया गया । अर्टिगा कार को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज कया गया ।

गरफ्तार अ भयुक्तों सरफराज अहमद, मो0 तारिक, मुकीम खान, मो. इबरान उपरोक्त के कब्जे से कुल 0167 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कया गया । उक्त बरामदगी/ गरफ्तारी के आधार पर थाना कोहंडौर पर मु0अ0सं0 111/25 धारा 8/21 NDPS Act का अ भयोग पंजीकृत कया गया ।

गरफ्तार अ भयुक्तों का ववरण-

1. सरफराज अहमद पुत्र अली अहमद निवासी अजीज नगर नूरपुर बुतात थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

2. मो0 तारिक पुत्र मो0 आ सफ निवासी ग्राम टिकरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी

3. मो. इबरान पुत्र मो. इश्तियाक निवासी ग्राम बरौली म लक थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी

बरामदगी-

01. कुल 167 ग्राम अवैध स्मैक बरामद (अनुमानित कीमत लगभग 200000 रुपये) ।

गरफ्तारी करने वाली पु लस टीमः-

स्वाट टीम- प्रभारी उ0नि0 दिनेश संह मय हमराह हे0 का0 मोहित राज यादव, हे. का. पंकज दुबे, हे.का. धनन्जय राय, चालक हे. का. राजेन्द्र प्रसाद संह, का.. श्रीराम यादव, का. जागीर संह, का. आशुतोष पाण्डेय, का. प्रवीण नयन, का. अर वन्द दुबे, चालक का. राजेन्द्र कुमार जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोहंडौर पु लस- थाना प्रभारी उ0नि0 प्रवीण कुमार दुबे मय हमराह उ0नि0 प्रतीक संह, का. अजय गौड़, का. गौरव बाबू, का. सन्तोष यादव, चालक का.. सौरभ संह थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ ।

बयान- “जनपद प्रतापगढ़ में नशे के अवैध कारोबार के वरुद्ध पु लस की कार्यवाही लगातार जारी है। यह कार्रवाई नशे के जाल को तोड़ने की दिशा में एक अहम कदम है। आमजन से अपील है क नशे जैसे सामाजिक अपराधों से दूर रहें और इस प्रकार की कसी भी संदिग्ध गति व ध की सूचना तत्काल पु लस को दें। आपकी जागरूकता और सहयोग से ही हम एक सुर क्षत व नशामुक्त समाज की स्थापना कर सकते हैं।”

– डॉ. अनिल कुमार,

पु लस अधीक्षक, प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पु लस द्वारा लगातार अपरा धयों के वरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना मानिकपुर पु लस द्वारा अवैध 01 अदद देशी तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस के साथ 01 अन्तर्जनपदीय अ भयुक्त को कया गया गरफ्तार-

अ भयुक्त पर जनपद प्रतापगढ़, प्रयागराज, बाराबंकी में हत्या, चोरी, गैंगस्टर व आर्म्स एक्ट जैसे 05 अ भयोग है पंजीकृत

अ भयुक्त को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत लौंदा से ममौली जाने वाले रास्ते पर बाग के पास से गरफ्तार कया गया-

पु लस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा ॅ0 अनिल कुमार द्वारा अ भयुक्त वांछित अपराधी की गरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अ भयान के अंतर्गत अपर पु लस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्रा धकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना मानिकपुर प्रभारी निरीक्षक श्री दीप नारायण के नेतृत्व में उ0नि0 संजय कुमार मय हमराह उ0नि0 संतोष यादव, का0 ध्यानचन्द, का0 प्रवीन कुमार व का0 मनीष मौर्या द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चे कंग के दौरान, दिनांक 18.07.2025 को अवैध 01 अदद देशी तमन्चा 312 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 312 बोर के साथ 01 अ भयुक्त सुनील कुमार यादव पुत्र स्व0 श्यामलाल निवासी ग्राम जाखामई थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत लौंदा से ममौली जाने वाले रास्ते पर बाग के पास से गरफ्तार कया गया है ।

अ भयुक्त के पास से अवैध 01 अदद देशी तमन्चा 312 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 312 बोर की बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 139/25 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट का अ भयोग पंजीकृत कया गया है ।

गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण-

01. सुनील कुमार यादव पुत्र स्व0 श्यामलाल निवासी ग्राम जाखामई थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष ।

अ भयुक्त सुनील कुमार यादव का आपरा धक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-1241/19 धारा-302 भाद व0 थाना नैनी जनपद प्रयागराज ।

2. मु0अ0सं0-172/22 धारा-457/380/411 भाद व0 थाना लोनी कटरा जनपद बाराबंकी ।

3. मु0अ0सं0-463/22 धारा-457/380/411 भाद व0 थाना लोनी कटरा जनपद बाराबंकी ।

4. मु0अ0सं0-56/23 धारा-2/3 यू.पी. गैंगेस्टर अ ध0 थाना लोनी कटरा जनपद बाराबंकी ।

5. मु0अ0सं0-139/25 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

अवैध 01 अदद देशी तमन्चा 312 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 312 बोर बरामद ।

पु लस टीम का ववरण-

उ0नि0 संजय कुमार मय हमराह उ0नि0 संतोष यादव, का0 ध्यानचन्द, का0 प्रवीन कुमार व का0 मनीष मौर्या थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ

थाना रानीगंज पु लस द्वारा 01 वारण्टी अ भयुक्त गरफ्तार-

पु लस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपरा धक क्रया कलापों में सं लप्त अपरा धयों के वरूद्ध चलाए जा रहे अ भयान के क्रम में थाना रानीगंज के उ0नि0 हरिमोहन राजपूत मय हमराह का0 योगेन्द्र यादव के द्वारा देखभाल क्षेत्र, चे कंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन, तलाश वांछित वारण्टी के दौरान केस नं0 141/04 अ0सं0 272/87 धारा 457/380/411 भाद व0 थाना रानीगंज से संबं धत एक नफर वारण्टी रामकृपाल पुत्र भगवानदीन निवासी ग्राम सरायशेर खाँ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गरफ्तार कया गया ।

 गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण-

1.रामकृपाल पुत्र भगवानदीन निवासी ग्राम सरायशेर खाँ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पु लस टीम-

उ0नि0 हरिमोहन राजपूत मय हमराह का0 योगेन्द्र यादव थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

<u>थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ</u>

 बीट आरक्षी नवनीत कुमार व बीट आरक्षी अनी कुमार की सतर्कता से 02 गैंगस्टर अ भयुक्तों को कया गरफ्तार

थाना मान्धाता के बीट आरक्षी नवनीत कुमार व बीट आरक्षी अनी कुमार ने गैंगस्टर अ भयुक्तों पर कसा शकंजा

बीट आरक्षी नवनीत कुमार व बीट आरक्षी अनी कुमार ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लये थाना मान्धाता के बीट आरक्षी नवनीत कुमार व बीट आरक्षी अनी कुमार को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

थाना मान्धाता पु लस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत पनियारी बाजार टेम्पू स्टैंड के पास से गैंगस्टर अ भयुक्त को गरफ्तार कया गया ।

 गरफ्तार गैंगस्टर अ भयुक्तों पर हत्या, गैंगस्टर एक्ट जैसे 03-03 संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में सं लप्त अपरा धयों की गरफ्तारी हेतु बीट पु ल संग प्रणाली को मजबूत कया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर बीट आरक्षी नवनीत कुमार व बीट आरक्षी अनी कुमार के सहयोग से थाना मान्धाता पु लस द्वारा मु0अ0सं0- 85/2025 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ में वांछित 02 अ भयुक्तों, 01- टिक्कू उर्फ टिंकू उर्फ अर वन्द पुत्र धर्मराज निवासी ग्राम चकबन्दतोड़ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष, 02-राजू उर्फ लालम ण उर्फ लालमनी पुत्र संजीव निवासी ग्राम कटाता थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत पनियारी बाजार टेम्पू स्टैंड के पास से गरफ्तार कया गया ।

गैंगस्टर एक्ट के गरफ्तार अ भयुक्तों का ववरण-

अ भयुक्त टिक्कू उर्फ टिंकू उर्फ अर वन्द पुत्र धर्मराज निवासी ग्राम चकबन्दतोड़ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ का आपरा धक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 54/2022 धारा 147/148/149/302 भाद व थाना मान्धाता प्रतापगढ़ ।

2. मु0अ0सं0 61/2025 धारा 191(2)/352/351(3)/61(2)(a) बीएनएस थाना मान्धाता प्रतापगढ़ ।

3. मु0अ0सं0 85/25 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना मान्धाता, प्रतापगढ़ ।

अ भयुक्त राजू उर्फ लालम ण उर्फ लालमनी पुत्र संजीव निवासी ग्राम कटाता थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ का आपरा धक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 54/2022 धारा 147/148/149/302 भाद व थाना मान्धाता प्रतापगढ़ ।

2. मु0अ0सं0 61/2025 धारा 191(2)/352/351(3)/61(2)(a) बीएनएस थाना मान्धाता प्रतापगढ़ ।

3. मु0अ0सं0 85/25 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना मान्धाता, प्रतापगढ़ ।

पु लस टीम-

थानाध्यक्ष अर वन्द कुमार संह, उ0नि0 अलंकार यादव मय हमराह का0 नवनीत कुमार हमराह का0 पंकज कुमार, का0 अनी कुमार मय चालक हे0का0 रतन लाल त्रिपाठी थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ ।

<u>थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ</u>

पु लस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपरा धयों के खलाफ कड़ा एक्शन

हत्या का प्रयास, गाली गलौज व धमकी देने के अ भयोग से संबं धत 01 बाल अपचारी को पु लस अ भरक्षा में लया गया ।

थाना फतनपुर पु लस टीम द्वारा अ भयुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत पकड़ी मोड़ के पास से पु लस अ भरक्षा में लया गया ।

घटना का सं क्षप्त का ववरण-

दिनांक 31.05.2025 को पैसे के लेनदेन के ववाद को लेकर वादी के पुत्र को आरोपीगणों द्वारा जान से मारने की नियत से हमला कया गया । जिसके संबंध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फतनपुर में मु0अ0सं0 115/2025 धारा 191 (2)/191 (3)/115 (2)/351 (3)/109/110 B.N.S बनाम 07 नामजद व कुछ व्यक्ति अज्ञात का अ भयोग पंजीकृत कया गया ।

पु लस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अ भयुक्त वांछित अपराधी की गरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अ भयान के क्रम में अपर पु लस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्रा धकारी रानीगंज श्री वनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल कुमार राय मय हमराह कर्म गण हे0का0 सुनील यादव, का0 सुशील पटेल,का० रामनिवास द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अ भयुक्त व ववेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना फतनपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 115/2025 धारा 191 (2)/191 (3)/115 (2)/351 (3)/109/110 B.N.S में वांछित 01 बाल अपचारी को थाना क्षेत्रान्तर्गत पकड़ी मोड़ के पास से पु लस अ भरक्षा में लया गया ।

गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण-

01- बाल अपचारी ।

पु लस टीमः-

उ0नि0 राहुल कुमार राय मय हमराह कर्म गण हे0का0 सुनील यादव, का0 सुशील पटेल,का० रामनिवास थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ।

थाना रानीगंज पु लस द्वारा 01 वारण्टी अ भयुक्त गरफ्तार-

पु लस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपरा धक क्रया कलापों में सं लप्त अपरा धयों के वरूद्ध चलाए जा रहे अ भयान के क्रम में थाना रानीगंज के उ0नि0 शवेन्द्र कुमार यादव मय हमराह का0 मनोज कुमार यादव के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र,तलाश वांछित वारण्टी अ भयुक्त, मुखबिर की सूचना पर केस नं0 333/18 से प्रधान न्यायधीश परिवार न्यायालय थाना अन्तू जिला प्रतापगढ़ संबं धत 01 वारंटी अजय कुमार पुत्र राम लखन नि0 ग्राम कसरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गरफ्तार कया गया।

 गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण-

1. अजय कुमार पुत्र राम लखन नि0 ग्राम कसरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पु लस टीम-

उ0नि0 शवेन्द्र कुमार यादव मय हमराह का0 मनोज कुमार यादव थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।